



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई, तृतीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी रेखा पाण्डेय
2B/320 हरपुर योजना,
कलिया


पत्रांक 494

नि० प्र० 2016/106

दिनांक 26-10-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 2B/320 योजना हरपुर योजना नगर कलिया
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 24.10.16 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2016/106
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 26-10-2016 से 25-10-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममेटी हेतु 64.30 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 127.50 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक


पृ० सं० 494


/ उपरोक्त

तददिनांक 26-10-2016

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-34 हरपुर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराणसी
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय हरपुर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराणसी
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


26/10/16


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी...संगीता देवी

भवन सं० 1A/359, L.R.G.

हरपुर योजना, वात्वीया

पत्रांक 451

नि० प्र० 2016/92

दिनांक 7-10-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 1A/359 योजना हरपुर नगर वात्वीया

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 28.09.2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 118/437

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक.....सेतक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मम्मी-हेतु 35.96 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 61.94 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 451

/उपरोक्त

तददिनांक 7-10-2016

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, वात्वीया को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय, जवाहर नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, वात्वीया को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी...राजकुमारी सिंह
भवन सं० 2 B/328 हरपुर योजना,
बालिया

पत्रांक 453

नि० प्रा० नि० प्रा० 2 016/93

दिनांक 7-10-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 2 B/328 योजना हरपुर नगर बालिया

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 28.9.2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 120/438

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 7-10-2016 से 6-10-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 60.10 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 136.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
तददिनांक 7-10-2016

पृ० सं० 453 / उपरोक्त
प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद बालिया को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय, इन्द्रा नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद बालिया को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
21/10/16



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई.....³

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ ~~.....~~ गलाब चन्द रौनियार
2A/424-हरपुर योजना जलिया


पत्रांक 302

नि० प्रा० 2017/77

दिनांक 29-8-2017

भवन/ ~~.....~~ संख्या 2A/424 योजना हरपुर योजना नगर जलिया
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 21-8-2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 115/824
..... के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 29-8-2017 से 28-8-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~.....~~ हेतु 19.22 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 26.05 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
Recent


पृ० सं० 302

/ उपरोक्त

तददिनांक 29-8-2017

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वागणनी
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय वागणनी उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वागणनी
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
Recent



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ ~~.....~~ श्री कान्ह जी तिवारी
ग्राम पोस्ट-दिधार जि० बलिया

पत्रांक 291

नि० प्र० 2017/67

दिनांक 18-8-2017

~~.....~~ / भूखण्ड संख्या / ~~.....~~ 2A/476 योजना हरपर योजना नगर बलिया

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 08-08-2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 104/863 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 18-8-2017 से 12-8-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 38-51 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 28-22 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
18/8/17

पृ० सं० 291

/ उपरोक्त

तददिनांक 18-8-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद काराणसी को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रती सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय भलपरा उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद काराणसी को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
18/8/17



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ ~~.....~~ कृष्णा प्रसाद सिंह
1A/125 हरपुर योजना बलिया

पत्रांक 258

नि० प्रा० 2017/62

दिनांक 21-7-2017

भवन/ ~~.....~~ संख्या 1A/125 योजना हरपुर योजना नगर बलिया

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 19-7-2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या.....

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 21-7-2017 से 20-7-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~.....~~ हेतु 36.06 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये.. 60.59 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 258

/उपरोक्त

तददिनांक 21-7-2017

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराणसी को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय वाराणसी उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराणसी को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी...राम प्रकाश पाण्डेय
1A/239 आवास विकास कालोनी,
हरपुर, बलिया

पत्रांक 41

नि० प्र० 2017/11


दिनांक 1-2-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 1A/239 योजना हरपुर नगर बलिया

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 23.01.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 12/587

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 1-2-2017 से 31-1-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममली हेतु 35.76 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 109.87 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक


पृ० सं० 41

/उपरोक्त

तददिनांक 1-2-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद बलिया को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय जवाहर नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद बलिया को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी रामेश्वर राय
2A/413 हरपुर योजना
बालिया


पत्रांक 475

नि० प्रा० 2016/101

दिनांक 20-10-2016


भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 2A/413 योजना हरपुर नगर बालिया
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 07.10.2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 458
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 20-10-2016 से 19-10-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मम्टी हेतु 19.22 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 25.05 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
तददिनांक 20-10-2016

पृ० सं० 475 / उपरोक्त
प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद बाराबली को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रतिलिपि सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय हरपुर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद बाराबली को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...^{द्वितीय}

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी सतीश कुमार सिंह

2B/317 लोक नायक नगर

आवास विकास कालोनी, हरपुर, बालिया

पत्रांक 4

नि० प्र० 2016/107


दिनांक 4-1-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खसस संख्या 2B/317 योजना हरपुर नगर बालिया

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 02.01.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 138/482

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 4-1-2017 से 3-1-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 253.78 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 129.78 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक


पृ० सं० 4

/उपरोक्त

तददिनांक 4-1-2017

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराणसी को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय वाराणसी नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराणसी को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक